

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## —:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत गैर-अनुसूचित क्षेत्र हेतु अध्यापक लेवल-प्रथम सामान्य शिक्षा के पद पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2022 को प्रोविजनल चयन किया जाकर, दिनांक 02.05.2022 को निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 09 में अंकित जिला आवंटन के आदेश प्रसारित किये गये थे। अभ्यर्थियों के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत परिवेदनाओं में निम्न वरियता वाले अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किये जाने के कारण वरियतानुसार जिला आवंटन की मांग की गई। प्रकरण का मनन, परीक्षण व पुर्नविचार किये जाने के उपरांत निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 10 में अंकित नवीन जिला आवंटित किया जाता है—

S.N.	Application_No	MERIT NO	CNAME	Cat	SEL_CAT	SEL_GEN	SEL_SPL	ALLOTTED DISTRICT	NEW DISTRICT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	202218200442	4942	KHEENVRAJ SINGH	EWS	EWS	GEN	-	BARMER	JAISALMER
2	202218199154	5180	LOKENDER SINGH	EWS	EWS	GEN	-	BARMER	JAISALMER
3	202218185837	5424	JOGRAJ SINGH	EWS	EWS	GEN	-	JODHPUR	JAISALMER
4	202218098145	7001	DASHRATH SINGH	EWS	EWS	GEN	-	JALORE	JAISALMER
5	202218140951	7079	AMAR SINGH	EWS	EWS	GEN	-	JALORE	JAISALMER
6	202218080961	7102	RANVEER SINGH	EWS	EWS	GEN	-	JALORE	JAISALMER

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शिक्षा.)

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्या.भर्ती,2021-22/गैर अनु./ले-1/सा.शि./2022 दिनांक: 21-11-22  
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधि) जोधपुर/जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर